सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

06 नवम्बर, 2023

सप्तदश विधान सभा | सोमवार, तिथि 06 नवम्बर, 2023 ई०
दशम सत्र | 15 कार्तिक, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, अब राष्ट्रगान होगा । कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ।

(राष्ट्रगान)

प्रारम्भिक संबोधन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के इस दशम सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूँ । वर्तमान सत्र में कुल पाँच बैठकें निर्धारित हैं । इसमें मुख्यतः प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक, वित्तीय कार्य, गैर सरकारी संकल्प लिये जाएंगे एवं अन्य औपचारिक कार्य होंगे ।

माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र के स्वस्थ विकास में रोजगार, आवास, भोजन, उचित जीवन-स्तर, शिक्षा तथा जीवन की अन्य आवश्यकताएं प्राप्त करने के मूलभूत अधिकार नागरिक समाज की अनिवार्य आधारशिला है । लोकतंत्र तभी चल सकता है जब जीवन चलाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध रहे और उनका संतुलित वितरण भी समाज में व्याप्त रहे । जिस हद तक रोजगार और शिक्षा आदि पाने के अवसरों में विषमता होगी, उसी हद तक समाज में लोकतंत्र निर्माण की क्षमता भी सीमित रहेगी । विधायिका का यही दायित्व है कि ऐसी विषमताओं को दूर करने हेतु विमर्श करें और सार्थक उपाय से सरकार को अवगत कराएं क्योंकि सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों और संसदीय परंपराओं का अधिकतम उपयोग ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है ।

शोर और शक्ति दबाव से अपनी धारणाओं को, अपने विचारों को मनवाने का प्रयास करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होता है । संसदीय प्रणाली तभी सफल हो पाती है, जब लोकतांत्रिक मूल्यों को कार्यान्वित करने वाले लोग एक-दूसरे के दृष्टिकोण का आदर करें । असहिष्णुता से प्रतिशोध की भावना जागृत होती है । यदि सभी निर्णय बहुसंख्यक दल के आधार पर ही किये जायं, अल्पसंख्यक दलों की भावनाओं का, इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा जाए तो इससे

लोकतंत्र निरर्थक हो जाता है । अत: लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वस्थ परंपराओं का सृजन तथा विकास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है । समाज में युवाओं को शिक्षित करना, रोजगार का सृजन करना और उन्हें संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना हमारी सबसे बड़ी जवाबदेही है ।

मेरा आप सबों से आग्रह है कि सत्र के दौरान लोक महत्व के विषयों पर विमर्श करें, अपना पक्ष रखें । लोकतंत्र में विचार-विमर्श से ही किसी समस्या का हल निकलता है ।

मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में अधिक से अधिक अपनी उपस्थिति बनाकर हम राज्यहित में बेहतर कार्य कर सकेंगे ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सत्र के सफल संचालन में आप सभी माननीय सदस्यों का सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा ।

अध्यासी सदस्यों का मनोनयन

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-12 (1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को सप्तदश बिहार विधान सभा के दशम सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूँ -

1. श्री प्रेम कुमार, स0वि0स0
2. श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स0वि0स0
3. श्री विजय शंकर दूबे, स0वि0स0
4. श्री भूदेव चौधरी, स0वि0स0
5. श्रीमती ज्योति देवी, स0वि0स0

समितियों का गठन

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-219 (1) के अधीन मैं सप्तदश बिहार विधान सभा के दशम सत्र के लिए कार्य-मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से करता हूँ -

कार्य-मंत्रणा समिति

1. अध्यक्ष, बिहार विधान सभा	- सभापति
2. श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री	- सदस्य
3. श्री महेश्वर हजारी, उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा	- सदस्य
4. श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री	- सदस्य
5. श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री, संसदीय कार्य	- सदस्य

6. श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री, ऊर्जा - सदस्य
7. श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल - सदस्य
8. श्री शकील अहमद खाँ, स0वि0स0 - सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य

1. श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
2. श्री जीतन राम मांझी, स0वि0स0
3. श्री तारकिशोर प्रसाद, स0वि0स0
4. श्री महबूब आलम, स0वि0स0
5. श्री अजय कुमार, स0वि0स0
6. श्री सुर्यकांत पासवान, स0वि0स0

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

माननीय सदस्यगण, कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक अभी ही सभा की बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद मेरे कार्यालय कक्ष में होगी । समिति के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस बैठक में भाग लेने की कृपा करें ।

औपचारिक कार्य

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-213 के खंड-2 (क) के अनुसार बिहार विधान सभा के समक्ष राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : महोदय, मैं बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्नलिखित विधेयकों की एक विवरणी पटल पर रखता हूँ जिसमें महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अधीन अनुमति प्रदान की गयी है और इसकी सूचना सप्तदश बिहार विधान सभा के नवम सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है -

महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2022	01.08.2023

महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	बिहार बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023	19.07.2023
2.	बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023	21.07.2023

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-205 के अनुसरण में बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वर्ष 2023-24 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में, मैं द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित करता हूँ ।

टर्न-2/सत्येन्द्र/06.11.2023

शोक-प्रकाश

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है ।

स्वर्गीय विनोद कुमार चौधरी

बिहार विधान परिषद् के पूर्व सदस्य श्री विनोद कुमार चौधरी का निधन दिनांक-16 जुलाई, 2023 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 68 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय चौधरी दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2008 में बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुये थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय महेन्द्र नारायण झा आजाद

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री महेन्द्र नारायण झा आजाद का निधन दिनांक-28 जुलाई, 2023 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 91 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय आजाद दरभंगा जिला के घनश्यामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 में एवं बहेड़ा विधान सभा क्षेत्र से वर्ष 1985 तथा 1990 में बिहार विधान के सदस्य निर्वाचित हुये थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय विजय कुमार यादव

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री विजय कुमार यादव का निधन दिनांक-23 सितम्बर, 2023 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 94 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय यादव नालंदा जिला के बिहार शरीफ निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1967 एवं 1969 में बिहार विधान के सदस्य एवं नालंदा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980, 1984, 1991 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे । वे लोकप्रिय व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय परवीन अमानुल्लाह

बिहार विधान सभा की पूर्व सदस्या श्रीमती परवीन अमानुल्लाह का निधन दिनांक-01 अक्टूबर, 2023 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 64 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय अमानुल्लाह बेगूसराय जिला के साहेबपुर कमाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2010 में बिहार विधान की सदस्य निर्वाचित हुई थीं । वे बिहार सरकार में मंत्री भी रही थीं । सामाजिक मुद्दों के प्रति वे संवेदनशील रहती थीं । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय अनन्त कुमार सत्यार्थी

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री अनन्त कुमार सत्यार्थी का निधन दिनांक-03 अक्टूबर, 2023 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 65 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सत्यार्थी मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से नवम्बर, 2005 एवं मुंगेर विधान सभा क्षेत्र से वर्ष 2010 में बिहार विधान के सदस्य निर्वाचित हुये थे । वे मृदुभाषी एवं मिलनसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुखी हैं।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय राजीव नन्दन

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राजीव नन्दन का निधन दिनांक-04 अक्टूबर, 2023 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 58 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय नन्दन गया जिला के गुरूआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2015 में बिहार विधान के सदस्य निर्वाचित हुये थे । वे मिलनसार एवं मुदृभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय अर्जुन मंडल

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री अर्जुन मंडल का निधन दिनांक-15 अक्टूबर, 2023 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 89 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय मंडल जमुई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1995 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे । वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे मिलनसार एवं लोकप्रिय व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय रामधनी सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रामधनी सिंह का निधन दिनांक-17 अक्टूबर, 2023 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 85 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह रोहतास जिला के दिनारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1990, 1995, 2000 एवं मार्च, 2005 में तथा करगहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2010 में बिहार विधान के सदस्य निर्वाचित हुये थे । वे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2008 में बिहार विधान परिषद् के भी सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे लोकप्रिय व्यक्ति के साथ-साथ कर्मठ एवं कुशल राजनेता थे । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय विभूति कवि

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री विभूति कवि का निधन दिनांक-24 अक्टूबर, 2023 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 71 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय कवि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1988 में बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुये थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अध्यक्ष : अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये प्रार्थना करें ।

(व्यवधान)

कृपया शांति बनाये रखें । अभी शोक सभा है और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये आप खड़े हैं । आप शांति बनाये रखें ।

(व्यवधान)

यहां कभी भी इस तरह की परिपाटी नहीं रही है । आप शांति बनाये रखें । आप मौन रहें ।

(एक मिनट का मौन)

अध्यक्ष : मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूंगा ।

अब सभा की बैठक, मंगलवार दिनांक-07 नवम्बर, 2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।